प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 06 जुलाई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान द्वारा संचालित एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सन्दर्भ संख्या-पी0जी0आई0/निदे0/एफआईई/ई0-141/72/2018, दिनांक 04-5-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-79/2018/71-2-2018-पी-46/2017, दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा रू0 289.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 143.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा संचालित एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक रूप से विद्युत संयोजन की स्थापना हेतु 0 1,46,33,000/- (रूपया एक करोड छियालीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. संस्थान के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का कार्य पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथा शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
3. संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस आदि में नहीं रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित कियेजाने का समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
7. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में निदेशक/वित्त अधिकारी संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या-107/2018/1688(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
10. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।